फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती हंजा कुंवर — विपक्षी : श्री मनोहरसिंह

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 94 / 21

कार्यवाही विवरण

दिनांक 30.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विपक्षी को मुलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अपनी सहमती दी। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी की सामलाती भूमि है जिसमें अलग–अलग काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में कानूनी रूप से विभाजन नहीं होने से प्रार्थी को बेदखल करने व अन्य लोगो को बेचान की धमकी दे रहे हैं जिससे प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा मुलवाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने पर अपनी सहमती दी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया की प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद में बंटवाडा व एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है व विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात सामलाती भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणनीय क्षति के बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा रणिया पटवार हल्का धावडिया तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2070–73 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 230 की आराजी 241–243, 242, 244, 262–264–265, 291 / 1, 734 / 1, 735 / 1, 834, 902, 964, 965, 968, 969, 971, 972, 973–974, 975, 977–978, 979, 980, 981–982, 983, 984, 985 किता 24 रकबा 63 बीघा 5 विश्वा भूमि में व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 180 की आराजी नंबर 240 किता 1 रकबा 4 बीघा 19 विश्वा भूमि में भू प्रबंधन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर उभय पक्षकारान मूल वाद [illegible] निस्तारण [illegible] राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम[illegible] हों ।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 16:58:42 IST
Reason: SelfAttested

(पर्वतसिंह चुण्डावत RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर